आदेश	कार्यवाही विवरण
	वास्ते बहस O7R11 दिनांक 16/4/24 को पेश हो 24/ ह0 अपठनीय
16/4/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0 वकील प्रतिवादी नं. 3 की ओर उप0 श्री [illegible] ने प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी नं. 3 ने अपनी ओर से पेश O1R10 CPC को निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादी नं. 1 व 5 ने O1R10 CPC का जवाब देने हेतु समय चाहा। नकल O1R10 CPC वकील प्रतिवादी नं. 1 व 5 को दिखाई गई। बहस O7R11 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश O7R11 CPC व जवाब O1R10 CPC दिनांक 30/4/24 को पेश हो। ह0 अपठनीय 16/4/24
30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। प्रा0 पत्र O7R11 CPC पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा0 मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील आइन्दा दाखिल दफ्तर हो। ह0 अपठनीय 30/4/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 133/2022

रामकरण बनाम बाबूलाल आदि

<u>दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>
<u>व धारा 151 सी.पी.सी.</u>

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री सुरेश कुमार सीगड़
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री दीपेन्द्र जाखड़

:: आदेश ::

दिनांक 30.04.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त उनवानी नम्बर वादपत्र मे ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 304, 302, 303, 795, 796, 797 को विवादित भूमि बताकर 303, 304, 302 में 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने व दानपत्र दिनांक 31.08.2018 बहक प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 तथा दानपत्र दिनांक 23.07.2019 बहक प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को नल एण्ड वोईड घोषित करवाने व उपरोक्त खसरा नम्बरान में बने टयूबवैल पर विधुत कनेक्शन जारी नही करने तथा मैाका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सिद्दि चाही है जिसके लिए वादी ने अपनू वादपत्र में पैरा नम्बर 2 की प्रथम लाईर्दन में जमीन वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 5 की पैतृक भूमि होना वादी का संयुक्त हिन्दु परिवार में जन्म लेते ही संयुक्त हिन्दू परीवार की पैतृिक जमीन में कानूनन हक हकूक होना दर्ज कर मौजूदा दावा पेश किया गया है। उपरोक्तानुसार वादी को उक्त विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होने और वादी की पैतृक भूमि होना प्रमाणित करने के लिए कानूनन हिंदू विधि के अनुसार विवादित भूमि पिछली चार पीढियों की पैतृक सम्पति होने के दस्तावेजात अपने वाद के समर्थन में पेश किये जाने चाहिए थे जो कि मौजूदा वाद पत्रावली में पेश नही किये गये है। उपरोक्त विवादित भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 795, 796 व 797 में से 0.1700 है0 भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी निजी आमदनी से दिनांक 11.01.13 को श्री महाबीर पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवंशी से जरिये विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। जो की प्रार्थी की निजी सम्पति है। जिसके विक्रयपत्र की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ में पेश की जा रही है। भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 302 व 303 पुराने खसरा नम्बर 1500 से तथा वर्तमान खसरा नम्बर 304 पुराने खसरा नम्बर 424 से बने है जिसकी नकल मिलान क्षैत्रफल की छाया प्रति पेश की गई है। उपरोक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 424 व 421 को प्रतिवादी नम्बर 5 ने पूर्व खातेदार रामली व घोटली पुत्रियां हनुमानराम जाति गुर्जर से दिनांक 01.02.78 को जरिये विक्रय पत्र खरीदी थी। प्रतिवादी नं0 5 द्वारा अपनी स्वयं की निजी आमदनी से जरिये विक्रय पत्र पूर्व खातेदार से जमीन खरीदने के बाद में भूमि पुराने खसरा नम्बर 421 व 424 का रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 01.04.78 को नामान्तकरण संख्या 1198 प्रतिवादी नं0 5 के नाम से भरा जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई थी। उक्त नकल नामान्तकरण संख्या 1198 की छाया प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। इसके अलावा प्रतिवादी नं0 5 ने बाबूलाल व रिछपाल पुत्रान गिगला से आपसी काश्त की सहूलियत के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 421 व 1500 का आपस में आपसी विनिमय कर लिया था यानि कि भूमि खसरा नम्बर 421 प्रतिवादी नं0 5 की खरीदशुदा भूमि थी जिसको उक्त बाबूलाल व रिछपाल पुत्रान गिगला को अपासी विनिमय के हिसाब से प्रतिवादी नं0 5 ने दे दी थी और उसके बदले में उक्त बाबूलाल व रिछपाल पुत्रान गिगला की खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 1500 को [illegible] ने अपने कब्जे में लेकर काश्त करने लग गया था। इसके प्श्चात द्वितीय भू प्रबंध अ[illegible] समक्ष अपने आपसी विनिमय के अनुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त [illegible] भू प्रबंध अधिकारियों ने उपरोक्त भूमि को अपासी विनिमय के हिसाब से भूमि खसरा नम्बर [illegible] बाबूलाल व रिछपाल के नाम से सही रूप से दर्ज कर दी और भूमि खरा नम्बर 1500 को इसी अनुसार प्रतिवादी नं0 5 के नाम से खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी जिसके भू प्रबंध विभाग द्वारा विनिमय की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। उपरोक्त विवादित भूमि नये खसरा नम्बर 304 पुराने खसरा नम्बर 424 से बना है और भूमि नये खसरा नमबर 302 व 303 पुराने खसरा नम्बर 1500 से बना है। भूमि पुराने खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

नम्बर 424 को प्रतिवादी नम्बर 5 ने पूर्व खातेदार रामली व घेाटली पुत्रियां हनुमानराम से दिनांक 01.02.78 को जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी जिसके नये खसरा नम्बर 304 है तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 1500 व नये खसरा नमबर 302 व 303 को प्रतिवादी नं0 5 ने अपनी स्वयं की खरीदशुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 421 के बदले में विनिमय कर प्राप्त की थी जो कि प्रतिवादी नं0 5 की स्वयं अर्जित सम्पति है जिससे वादी या अन्य ना तो कोई संबंध या सरोकार है और नाहिं किसी की कोई पैतृक संपति है बल्कि विवादित भूमि प्रतिवादी नं0 5 की खुद अर्जित सम्पति है जो प्रतिवादी नम्बर 5 के जीवनकाल में वादी या अन्य किसी की पैतृक सम्पति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी नं0 5 की निजी सम्पति की बाबत उसको पैतृक भूमि होना बताकर दावा करने का कोई वादधिकार नही है तथा जिस व्यक्ति को किसी भूमि की बाबत दावा करने का कोई अधिकार ही नही होता है वहां कानूनन किसी भी सुरत में वादकारण पैदा होना नही माना जा सकता है। मौजूदा प्रकरण में वादी ने कानून के खिलाफ वादकारण उत्पन्न होना दर्ज किया है इसलिए वाद वादी कानूनन वादकारण के अभाव मे खारिज होने येाग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा 5 में दर्ज किया है कि बिनायेमुखसमत दावा न्यायालय के क्षैत्राधिकार में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नं0 5 ने बिना अधिकार के तथाकथित दोनो दान पत्र बालाबाला तस्दीक करवाये तथा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बालाबाला प्रतिवादी नं0 8,9 व 10 के कार्यालय में अकेले के नाम से विधुत कनेक्शन लेने की कुचेष्टा की जिसके बाबत वादी को दिनांक 05.07.22 को ज्ञान हुआ के रोज तथा दिनांक 06.07.22 को प्रातः 8 बजे प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विधुत कनेक्शन आज ही जारी करवाने की धमकी दी के रोज पैदा हुआ जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि के बाबत माननीय न्यायालय में वादी ने दिनांक 12.07.21 को एक दावा उनवानी सुमित्रा देवी आदि बनाम शंकरराम आदि दावा बाबत घोषणा दुयसती रिकॉर्ड विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था तथा उक्त वाद में मुख्य विवाद विधुत कनेक्शन बाबत होन का दर्ज करते हुए दिनांक 04.07.22 को मौजूदा दावे के प्रतिवादीगण संख्या 8,9 व 10 को पक्षकार बनाने के लिए एक प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा आ 1 नियम 10 का पेश कर दिया था तथा पत्रावली जबाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी। उक्त दावा की आदेशिका व प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कि जा रही है। वादी ने जिस दिनांक को वादकारण पैदा होना दर्ज किया है तथा जिस दिनांक को मौजूदा दावा पेश किया है उस दिन मौजूदा वादकारण के आधार पर मौजूदा दावा में चाही जा रही सिद्वियां के बाबत वादी का पेश किया हुआ दावा विचाराधीन था इसलिए एक दावे के विचाराधीन रहते उसी विवाद विषय के बाबत वादी को दुसरा वाद कारण पैदा नही हो सकता है। इसके अलावा वाद के साथ प्रस्तुत उसी उनवान के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आधार बनाकर वादी रामकरण ने प्रार्थीगण व पटवारी व प्रतिवादीगण नं0 8 लगायत 10 के विरूद्व दिनांक 06.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए का पेश किया था जिसमें पैरा संख्या 6 में वादी ने दर्ज किया है कि अनावेदक नं0 1 लगायत 6 ने अनावेदक नं0 7 लगायत 10 से मिलीभगत कर भूमि खसरा नम्बर 302, 303, 304, 795, 796, 797 के संबंध में अनावेदक नं0 8 लगायत 10 के कार्यालय में विधुत कनेक्शन लेने हेतु पत्रावली भी जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि पर विधुत कनेक्शन के बाबत अनावेदक नं0 8 लगायत 10 ने डिमाण्ड नोटिस भी जारी कर दिया अर्थात वादी रामकरण को दिनांक 06.10.21 के पूर्व विधुत कनेक्शन के बाबत पूर्ण जानकारी थी तथा न्यायालय में वाद विचाराधीन था इसलिए एक ही विवाद विषय के बाबत एक व्यक्ति को दुबार वाद कारण पैदा नही हो सकता है। इसलिए मौजूदा वाद वादकारण के अभाव मे तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए वाद खारिज किया जावे। मौजूदा वाद में वादी ने प्रतिवादी नं0 5 द्वारा अपने वैध कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी स्वंय की निजी कमाई से खरीदी भूमि के किये गये दानपत्रों को भी चुनौती देकर अपने वाद पत्र के पृष्ठ संख्या 4 पर प्रतिवादी नं0 5 ने दिनांक 31.08.18 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पक्ष में डीड करवाई है जिसका कानूनन कोई औचित्य नही है उक्त दानपत्र करवाने की क्या आवश्यकता हुई कानूनन दानपत्र में कोई स्वीकारोक्ति नही है दानपत्र में कानूनन जो तथ्य आवश्यक होते है वह दर्ज नही किये गये है अर्थात वादी का वादपत्र पढने से प्रतीत होता है कि दानपत्र विधिनुसार तस्दीक नही ... और वादी ने दानपत्र की वैधता दावा में श्रीमान के समक्ष चुनौती दी है ... केवल मात्र क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है श्रीमान के न्यायालय में केवल ऐसे दस्तावे... चुनौती दी जा सकती है जिसको तस्दीक करवाने का अधिकार नही होते हुए भी किसी पक्षकार ने तस्दीक करवा दिया हो। मौजुदा वाद में वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा उसके अधिकारों से अधिक भूमि ... हस्तान्तरण करने का अवलम्बन नही लिया गया है। इसलिए श्रीमान के न्यायालय को दान पत्र के बाबत सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही होने से मौजुदा वाद क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। मौजूदा वाद में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

की स्वयं की अर्जित भूमि होने के कारण ही पूर्व वाद की वादिया और अपनी बहन सुमित्रा देवी को इस वाद में पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए वाद वादी कानूनन खारिज होने योग्य है।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादी का दावा घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है। दावा कृषि भूमि के बाबत है जिसके बाबत घोषणा माननीय न्यायालय ही कर सकता है इसके अलावा राजस्थान में कृषि भूमि की घोषणा के बाबत अन्य किसी भी न्यायालय में दावा कानूनन पेश नही किया जा सकता है। इस तरह प्रतिवादी ने इस धारा में अप्रासंगिक व व्यर्थ का कथन किया है। मौजूदा दावा जैसा भी पेश हुआ है उसका ट्रायल होने तथा दोनो पक्षो के बयानो के पश्चात ही अंतिम निर्णय कानूनन हो सकता है। प्रतिवादी ने सोर्टकट मैथड अपनाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। माननीय न्यायालय द्वारा घोषणा का दावा आज तक प्रार्थना पत्र आ0 7 नियम 11 के तहत खारिज नही किया गया है तथा इस तरह से खारीज करने का कानून में कोई प्रावधान भी नही है। ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी ध्यानपूर्वक वाचन किये जाने पर निष्कर्ष निकलता है कि यह प्रावधान वादी के वाद पर चस्पा नही होते है। दस्तावेज साक्ष्य के पूर्व तथा तनकी कायम होने से पूर्व कानूनन पेश हो सकते है तथा न्यायाल की इजाजत से दस्तावेज मामले के निस्तारण से पूर्व पेश किये जा सकते है। ऑर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में दस्तावेजों का कोई हवाला नही है लिहाजा यह धारा प्रतिवादी ने मामले को होच पौच करने के लिये वादी को हैरान व परेशान करके मामले का फैसला नही होने देना चाहते है जिससे वादी सख्त हकतलफी हो रही है। तथा वादी के साथ न्याय नही होने देने की गरज से प्रतिवादी ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। कानून का मत है किसी भी दावा में तनकीयात कायम होने के पश्चात कानूनी तनकी पर सुनवाई करके साक्ष्य से पूर्व कानूनी बिन्दु का निस्तारण किया जाना चाहिए। आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी में कानूनी प्रावधान है जिससे ध्यान हटाने के लिए प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। निजी सम्पति या पैतृक संपति का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है जो दोनो पक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही निस्तारण कानूनन किया जा सकता है। राजस्व रिकॉर्ड सही नही है जिसके कारण वादी ने घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है। यह तथ्य दावा की सम्पूर्ण सुनवाई होने के बाद तय होने वाला बिन्दु है। धारा में वेग तथ्य लिखकर प्रतिवादी ने ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों पर ध्यान नही देकर दावा की अंतिम स्टैज की तरह गलत कथन किया है। आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी में कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट फीस प्रोपर स्टाम्प, बार्ड बाई लॉ, डुप्लीकेट कॉपी इनके बाबत ही प्रावधान है जो उपरोक्त उनवान के दावे में चस्पा नही होते है तथा इसी आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादी ने कृषि भूमि के बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड का दावा किया है जिसके बाबत सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है अन्य किसी न्यायालय को कृषि भूमि का अधिकार नही होने के कारण कृषि भूमि का वाद श्रीमान के न्यायालय में ही चलेगा इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। वादी के वाद में धारा 5 में वादकारण के बाबत विस्तार से बताया गया है तथा घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड का दावा कभी भी पेश करने हेतु स्वतंत्र है इसलिए वादाधिकार की बात प्रतिवादी ने गलत दर्ज की है। प्रतिवादी ने मामले को लम्बित रखने के लिए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के बाबत माननीय न्यायालय में उपरोक्त उनवान का मौजूदा राजस्व वाद ही चल रहा है इसके अलावा प्रदेश के किसी भी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के बाबत कोई वाद नही चल रहा है। ऑर्डर 2 रूल 2 व धारा 11 सीपीसी के प्रावधान इस मामले में लागू नही होते है। निजी कमाई या संयुक्त परिवार की कमाइ का बिन्दु तथ्य का है जिसका निस्तारण दोनो पक्षों की साक्ष्य आने और प्रतिरक्षा होने तथा न्यायालय के विटनस बॉक्स में दोनो पक्ष हाजिर होगें तब सच्चाई का खुलासा होगा जो दावा की निस्तारण की अंतिम प्रक्रिया है इसलिए प्रतिवादी का प्रा0 पत्र खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा बोगस दस्तावेज पेश किये है जिसका प्रतिवादी नं0 5 को अधिकार प्रारम्भिक रूप से नही था इस कारण से तथाकथित दस्तावेज अबइनिसियो वोइड एवं नल एण्ड वोइड है इसलिए कानूनन इस तरह के दस्तावेजों के विरूद्व कृषि भूमि के बाबत दावा राजस्व न्यायालय [illegible] सिविल कोर्ट का इस तरह के मामलो में दखल नही है। माननीय न्यायालय को कृषि भूमि [illegible] भी अधिकार अनन्य रूप से प्राप्त है इसी विवाद को लेकर वादी घोषणा [illegible] की बहन सुमित्रा को आवश्यक पक्षकार ही बनना है तो उसे पक्षकार बना[illegible] रहा है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बाबत प्रार[illegible] आपत्तियां निम्न प्रकार है:– माननीय न्यायालय द्वारा दावा में दिनांक 31.08.2022 को प्रतिवादी नं0 1 व 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है जिसको आज तक प्रतिवादी नं0 1 व 5 ने सेट असाईड करवाने का प्रार्थना पत्र ही पेश नही किया है। इसलिए उपरोक्त उनवान के दावे में प्रतिवादी नं0 1 व 5 की कोई लोकस स्टैण्डाई

नही है इसलिए प्रारम्भिक रूप से ही प्रतिवादी का प्रा0 पत्र चलने येाग्य नही है। वादी ने दिनांक 18.04.23 को एक प्रा0 पत्र धारा 151 सीपीसी पेश किया था जिसमें दिनांक 31.8.22 को प्रतिवादी नं0 1 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा अमल में लाई जाने के तथ्य पर न्यायालय को अवगत करवाया था जिसका जबाब भी आ चुका है परन्तु दिनांक 31.08.22 को एक पक्षीय कार्यवाही के बाबत आज दिन तक अमल नही किया गया है। जिसके ऑर्डर बिना प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 31.08.22 के बाबत वकील प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि न्यायालय को तथा रीडर की गलती से 31.08.2022 की आर्डरसीट लिखी गई है। इसका जबाब है कि कानून की मंशा के अनुसार जिस न्यायालय में मामला चल रहा है उसी न्यायालय मे उसी न्यायालय की गलती अथवा आलोचना नही की जा सकती है । अगर प्रतिवादी को तथाकथित रूप से न्यायालय की गलती के बाबत बयानी करनी है तो अपील में जाना चाहिए। औपचारिक रूप से जब तक प्रतिवादी नं0 1 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात सेट असाईड नही हो जाती है तब तक प्रतिवादी दावे की कार्यवाही में अपना पक्ष नही रख सकता है ऐसा प्रतिवादी नही कर रहे है न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी को दावे की कार्यवाही से हटाया जावे। इस तथ्य पर गौर फरमाया जाना आवश्यक है। लिहाजा जब तक न्यायालय की पत्रावली दुरूस्त नही हो जाती है तथा एकपक्षीय आदेश निरस्त नही हो जाता है तब तक दिनांक 31.08.22 के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 नही चल सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रारम्भिक आपत्ति के बाबत सर्वप्रथम निस्तारण किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 5 द्वारा प्रस्तुत मौजुदा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 व धारा 11 जाब्ता दीवानी पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5/प्रार्थी नें अपनी बहस में मौजुदा वाद में विवादित भूमि अपनी स्वयं की खरीदशुदा भूमि होना व उसका मनमाफिक दान व विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र होने तथा विवादित भूमि का मौजुदा दावा दायरी के दिनाँक को पुर्व के इन्ही पक्षकारो के मध्य इन्ही विवाद विषय को लेकर दावा विचाराधीन होने का कथन करते हुए वादी को वाद कारण पैदा नही होने का कथन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न नजीर पेश की हैः– 2017(2)RRT 907 kamlesh vs ranjeet, 2017(2) rrt 1443 kanchan vs pandit shri pre vallabh Sharma, 2017(2) RRT 1446 deva ram vs state of raj. , supreme court of india(Ramisetty venkatanna vs nasyam jamal sahib), The bank of raj. Vs manish agarwal, RLW 2006-kesri singh vs nagarmal आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

इसके विपरित दौराने बहस वकील वादी/अप्रार्थी नें जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुए विवादित भूमि को अपनी पैत्रिक व संयूक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न नजीर पेश की हैः– अप्रार्थी/वादी द्वारा नजीर के रूप में RLW 2011 page 272, RLW 2011 page 285, RLW 1995 page 139, RLW 2007 page 869, RLW 2011 page 2690 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वादपत्र व पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र पढने तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने से पत्रावली पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद नही पाया गया जो वादी के वाद पत्र में दर्ज तथ्यों की पुष्टि करता हो तथा विवादित भूमि वादी की पैत्रिक व संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि प्रमाणित हो। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यात्मक रूप से मौजुदा प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं। इसके विपरित जहाँ तक भूमि खसरा नम्बर 795, 796 व 797 में से 0.1700 हैक्टेयर भूमि का विवाद है, उसकी बाबत पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2013 के [illegible] मौजुदा वाद के प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा अपना निजी प्रतिफल अदाकर क्रय किया जाना प्रथम [illegible] होता है। इसके अलावा भूमि खसरा नम्बर 304 भी मौजुदा पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान [illegible] के अनुसार भूमि पुराने खसरा नम्बर 424 के नये खसरा नम्बर 1588 [illegible] प्रमाणित है। इसके अलावा भूमि खसरा नम्बर पुराने 1500 से नये खसरा नम्बर 1586 [illegible] 0.0200 हैक्टेयर व 1587 रकबा 2. 0500 हैक्टेयर बनना तथा खसरा नम्बर 1586 हाल खसरा नम्बर 302 व खसरा नम्बर 1587 हाल खसरा नम्बर 303 बनना प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होता है। प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार पत्रावली पर मौजुद विक्रय पत्र दिनाँक 01.02.1978 के अनुसार भूमि पुराने खसरा नम्बर 421 रकबा 8 बिघा 15 बिस्वा व भूमि पुराने खसरा नम्बर 424 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 303 बनना प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होता है। प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार पत्रावली पर मौजुद विक्रय पत्र दिनाँक 01.02.1978 के अनुसार भूमि पुराने खसरा नम्बर 421 रकबा 8 बिघा 15 बिस्वा व भूमि पुराने खसरा नम्बर 424 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 5 की स्वयं की आय से खरीदशुदा होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। इसके बाद में दौराने द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही प्रतिवादी नम्बर 5 द्वारा आपसी विनिमय की सहुलियत के अनुसार भूमि पुराने खसरा नम्बर 1500 के खातेदारान बाबूलाल व रिछपाल पुत्रान गिगला कौम चेजारा से अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 421 का विनिमय किया। भूमि पुरानेखसरा नम्बर 1500 प्रतिवादी संख्या 05 ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली तथा पुराने खसरा नम्बर 421 उक्त बाबूलाल व रिछपाल पुत्रान गिगला को चेजारा की खातेदारी में विनिमय के परिणाम स्वरूप दर्ज करवा दी जो पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा परिशोधन पत्र के अनुसार प्रमाणित होता है। इसप्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 05 की प्रथम दृष्टया स्वयं अर्जित भूमि होना साबित होता है। प्रतिवादी नम्बर 5 द्वारा दिनाँक 31.08.2018 को प्रतिवादीगण नम्बर 6 व 7 तथा दिनांक 23.07.2019 प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हक में करवाये गये उपहार व दान पत्र प्रतिवादी नम्बर 05 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो को कानूनन प्रयोग में लेते हुए उक्त उपहार पत्र व दान पत्र निष्पादित व तस्दीक करवाये गये है जिनको वादी द्वारा किसी सक्षम दीवानी न्यायालय में चूनौती देने के बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा उपहार व दानपत्रों के द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 6 व 7 और 1 व 2 को प्राप्त विवादित भूमि इनकी स्वअर्जित भूमि कानूनन मानी जायेगी। जिसकी बाबत वादपत्र व पत्रावली पर मौजुद दस्तावेज के आधार पर वादी को कोई वादकारण या वादाधिकार पैदा नही होता है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी का अनुतोष विवादित आराजी पैतृक मानकर 1/6 हिस्से की घोषणा व दोनों दानपत्रों को नल एण्ड वोइड घोषित करवा कर उनके अधिकारों पर बेअसर घोषित करवाने का है जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जबाब एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 5 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा स्वअर्जित संपति है व उसके द्वारा करवाये गये दानपत्र भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिनको नल एण्ड वोईड घोषित करने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों (विक्रय पत्र व दानपत्र) की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजुदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2024.05.07 15:05:35 IST
Reason: SelfAttested